(1)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फूर्द अहकाम

मु.नं० 98/16 तारीख रजू 26/8-16

उनवान - रसीद बनाम तहसीलदार
दावा बाबत अन्तर्गत धारा 136 LRAct

पादी की ओर से रामभरोसी गुप्ता Adv. ने दावा बाबत धारा 136 LRAct पेश किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को समन से तलब कर दिनांक 15-9-16 को पेश हो। 2520 26/8/16

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

15-9-16 वादी वकील उप० / पैरोकार सरकार उप० / P.O. सी० कचहरी पधारे बी वास्ते जबाब दि० 30-9-16 को पेश हो।

30-9-16 वादी वकील उप० / गतानुसार वास्ते जबाब दिनांक 19-10-16 को पेश हो।

19-10-16 वादी वकील उप० / पैरोकार सरकार उप० / जबाब पेश करने एक मौका और चाहा / समय दिया गया / वास्ते जबाब पेश करने दिनांक 24-10-16 को पेश हो।

24-10-16 वादी वकील उप० / पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया / का० रेल / दिनांक 27-10-16 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

रसीद बनाम तहसीलदार

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
27.10.16	वादी वकील एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। वादी वकील ने अपनी बहस में कथन किया कि वादपत्र में वर्णित तथ्यों को सरकार के जवाब में भी सही माना गया की साबिक नक्शा सीट में खींची हुई रेखा के अनुसार ही नवीन नक्शा सीटमें दुरुस्ती होनी चाहिए तथा इसी अनुसार रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में अंकन होना चाहिए। पैरोकार सरकार ने भी साबिक नक्शा सीट में खींची हुई रेखा के अनुसार ही मौकेपर वर्तमान में आबादी होना स्वीकार करते उए इन्हाज दुरुस्ती नक्शा सीट व रेवन्यूरिकार्ड में किये जाना की तहरीर दी। इन्हे सुनकर व रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी का दावा पत्र अंकित इन्हाज दुरुस्ती स्वीकार किये जोने के योग्य प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता की भूमि हाल खसरा नम्बर 9 व 10 स्थित ग्राम बालघाट तहसील टोडाभीम के नक्शा ट्रेस में साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार पूर्व दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर तरमीम करने के आदेश दिये जाते हैं। तथा खसरा नं० 10

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

में से 0.14 है० क्षेत्र कम का रख.नं. 9 में शामिल कोत
तथा रख.नं. 9 का रकबा 0.14 है० क्षेत्र कम का रख.नं.
10 में शामिल खाते के आदेश दिये जाते है।
तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की पालना
वास्ते निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पालना
प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नथ
से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.16 को खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner